(4) 10

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :–

राजस्व वाद सं.– 358/2021 दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़

– वादी

बनाम

1. उमेश केडिया पुत्र गोविन्दराम केडिया जाति महाजन निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. राकेश केडिया पुत्र गोविन्दराम केडिया जाति महाजन निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक – 24.11.2021

उपस्थितः– सरकारी पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थी राज्य सरकार की और से तहसीलदार सूरजगढ़ लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1678/743 कुल रकबा 0.57 है0 मौजा पिलानी में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 ने वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर वाणिज्यक (दुकान) कार्य हेतु जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दावा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 17.09.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से दुकान काटने का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र सुनने का हक अदालत हाजा को धारा 177,92क, आ.टी.एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं कर। अन्य सिद्वि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आ.टी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार ने लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को अवगत करवाया कि प्रतिवादीगण का अन्य मुकदमा संख्या 410/2021 न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण एक ही है तथा वाद की श्रेणी भी समान होने के कारण पत्रावली को Consolidate करने के लिए निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, मुकदमा संख्या 410/2021 को मु0 स0 358/2021 के साथ Consolidate किया गया। तथा प्रतिवादीगण की तामिल राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 61 के प्रावधानों के तहत चस्पानगी द्वारा की गई। प्रतिवादीगण बावजुद तामील बार-बार आवाज लगवाये जाने पर भी उपस्थित नही आये अतः अनपस्थिति के फलस्वरूप प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया। बहस वादी सरकारी पैरोकार सूरजगढ़ की सूनी गई। राजकीय पैरोकार ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जवाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1678/743 कुल रकबा 0.57 है0 एवं खसरा नम्बर 1679/743 कुल रकबा 2.43 है0 मौजा पिलानी जिसकी किस्म बारानी अव्वल है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रकिया कार अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर दुकान आदि करके वाणिज्यक प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। पटवारी हल्का पिलानी मौका फर्द क्रमशः दिनांक 17.09.2021 एवं 08.11.2021 से इस तथ्य की भली-भॉति पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा बावजूद सूचना के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर दुकान काटकर वाणिज्यक के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए बेदखल किए जानें का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

का वादपत्र भली-भाँति साबित होता है, अतः प्रतिवादी खातेदार को वादग्रस्त आराजी में से खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत रहेगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पिलानी तहसील सूरजगढ़ खसरा 1678/743 कुल रकबा 0.57 है० एवं खसरा नम्बर 1679/743 कुल रकबा 2.43 है० मौजा पिलानी किस्म बारानी अव्वल से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को राजकीय भूमि खाते सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

नोट:- आदेश में खसरा संख्या 1679/743 कुल रकबा सहवन से कम्प्यूटर टाईपिंग गलती से रकबा 2.43 है० दर्ज हो गया जबकि सही रकबा 2.93 है० है। अतः आदेश में जहाँ जहाँ 2.43 है० रकबा अंकित है उसको 2.93 है० पढ़ा जावें।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

(7)
13

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-
राजस्व वाद सं.- 358/2021
निर्णय दिनांक :- 24-11-2021

दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्था सरकार बनाम उमेश केडिया आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से सरकारी पैरोकार व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.11.2021 को दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

"वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पिलानी तहसील सूरजगढ़ ख0न0 1678/743 कुल रकबा 0.57 है0 एवं खसरा नम्बर 1679/743 कुल रकबा 2.43 है0 मौजा पिलानी किस्म बारानी अव्वल से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को राजकीय भूमि खाते सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
सूरजगढ़

नोट:- आदेश में खसरा संख्या 1679/743 कुल रकबा सहवत से कम्प्यूटर टाईपिंग गलती से रकबा 2.43 है० दर्ज हो गया जबकि सही रकबा 2.93 है० है। अतः आदेश में जहाँ जहाँ 2.43 है० रकबा अंकित है उसको 2.93 है० पढ़ा जावें

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ